न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 15/2017/223 आरटीए

1. दातेन्द्र कौर पुत्री महेन्द्र सिंह (माता स्व. श्रीमति हरभजनकौर पत्नि महेन्द्रसिंह) जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 14 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. प्रभातेश्वर पिसरान महेन्द्र सिंह (माता स्व. श्रीमति हरभजनकौर पत्नि महेन्द्रसिंह) जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 14 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. अखिलेश पुत्र महेन्द्र सिंह (माता स्व. श्रीमति हरभजनकौर पत्नि महेन्द्रसिंह) जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 14 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. जीतेश पुत्र महेन्द्र सिंह (माता स्व. श्रीमति हरभजनकौर पत्नि महेन्द्रसिंह) जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 14 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांटस

बनाम

1. महावीर पुत्र स्व. हरलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. अनिल पुत्र स्व. हरलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– असल रेस्पोडेंटस

3. कौशल्या पुत्री स्व. हरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. उर्मिला पुत्री स्व. हरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. काशीराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. औमप्रकाश पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. सरस्वती देवी पत्नि स्व. पतराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. अमीलाल पुत्र स्व. पतराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. सीताराम पुत्र स्व. पतराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. गुड्डी देवी पुत्री स्व. पतराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. सन्जूदेवी पुत्री स्व. पतराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. रानी देवी पुत्री स्व. पतराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. भूराराम पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. सुरजाराम पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15. श्योकरण पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुामनगढ़।
16. मेहरचन्द पुत्र स्व. भादरराम पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुामनगढ़।
17. हंसराज पुत्र स्व. भादरराम स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुामनगढ़।
18. कान्हाराम पुत्र स्व. भादरराम पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुामनगढ़।
19. मुखराम पुत्र स्व. भादरराम पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुामनगढ़।
20. मनफुलराम पुत्र स्व. हेमाराम पुत्र स्व. उमाराम जाति जाट निवासी शहीदांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
21. मांगीलाल पुत्र स्व. हेमाराम पुत्र स्व. उमाराम जाति जाट निवासी शहीदांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
22. श्योपतराम पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. हेमाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
23. लालचन्द पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. हेमाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
24. चिमनाराम पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
25. जगदीश पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
26. दयालाराम पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
27. महेन्द्र पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
28. राजकिरण पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
29. कमलकुमार पुत्र स्व. रामस्वरूप पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
30. कनीराम पुत्र स्व. रामस्वरूप पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
31. बहादर पुत्र रूड़ा जाति चमार चौपड़ा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
32. मनफुल पुत्र स्व. जीसुख जाति चमार चौपड़ा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
33. मांगीलाल पुत्र प्रतापी जाति महाजन ओसवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
34. सुखी पत्नि सन्तोषचन्द्र जाति महाजन ओसवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

35. रामजीदास पुत्र पूरण जाति महाजन ओसवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
36. प्रहलाद पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 11 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
37. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——रेस्पो0/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.10.2013 एवं डिक्री दिनांक 10.10.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया मु.न. 207/10 अनवानी महावीर आदि बनाम कौशल्या आदि

उपस्थित :—
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांटस
श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 37

निर्णय दिनांक 06.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसील संगरिया के चक 15 बीजीपी एवं चक 5 एएमपी परस्पर चिपते हुये है। चक 15 बीजीपी मे पत्थर लाईन 174 पर उत्तर से दक्षिण गांव बोलावाली से दीनगढ़ तक गांव से गांव तक जाने हेतु तीन गट्ठा अर्थात 25 फीट चौड़ा स्वीकृत रास्ता है। इस स्वीकृत रास्ता से पत्थर लाईन 152 पर पूर्व से पश्चिम चक 15 बीजीपी के प.न. 174/152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 5 व चक 5 एएमपी के प.न. 173/152 मु.न. 61 के कि.न. 1 ता 5 व चक 5 एएमपी के प.न. 173/152 मु.न. 61 कि.न. 1 ता 5 मे 2—2 बिस्वा स्वीकृत रास्ता है। अपीलांट की माता स्व. श्रीमति हरभजनकौर पत्नि महेन्द्रसिंह की खातेदारी भूमि चक 5 एएमपी मे कुल 15 बीघा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अपीलांट की उक्त 15 बीघा भूमि के लिये रास्ता की सुविधा नही होने पर अपीलांट ने दिनांक 14.12.2015 को प.न. 173/151 मु.न 57 कि.न. 20, 21 मे पश्चिमी सिरे पर उत्तर से दक्षिण एक—एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु रेस्पो0 सं. 1 व 2, 4 व 5 व स्व. पतराम के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2016 को प्रस्तुत हुई। इस रिपोर्ट से अपीलांट को ज्ञात हुआ कि चक 15 बीजीपी के प.न. 174/152 मु.न. 57 के कि.न. 1 ता 4 मे स्वीकृत रास्ता खारिज हो चुका है। अपीलांट को पटवारी हल्का चक 4 एएमपी से ज्ञात हुआ कि यह रास्ता चक 15 बीजीपी के इन्तकाल सं. 586 के जरिये अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री की पालना मे खारिज होकर गैरमुमकिन खाला के रूप मे राजस्व अभिलेख मे दर्ज हुआ है। इस पर पड़ताल करने पर अपीलांट को इस डिक्री से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली राजस्व वाद सं. 207/2010 महावीर आदि बनाम कौशल्या आदि जिला अभिलेखागार हनुमानगढ़ मे जमा होने की जानकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिली। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.10.2013 व डिक्री दिनांक 10.10.13 की प्रमाणित दिनांक 24.11.2016 को प्राप्त हुई है तथा इस निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपनी चक 5 एएमपी, 15 बीजीपी व चक 6 एनटीडब्ल्यू की संयुक्त खाता की भूमि के खाता विभाजन के अनुतोष के साथ साथ चक 15 बीजीपी के खाता सं. 103/102 मे प.न. 174/152 मु.न. 47 के कि.न. 1 ता 4 मे मंजूरशुदा गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर गैर मुमकिन खाला घोषित किये जाने का अनुतोष भी चाहा तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत खाता विभाजन की डिक्री प्रदत्त करने के साथ साथ चक 15 बीजीपी के प.न. 174/152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 4 मे स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर गैर मुमकिन खाला राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश भी पारित कर दिये। अपीलांट उक्त निर्णय व डिक्री मे 15 बीजीपी के प.न. 174/152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 4 मे स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर गैर मुमकिन खाला दर्ज करने के आदेश की सीमा तक व्यथित व प्रभावित हुये है, इसलिये अपीलांट यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि चक 15 बीजीपी मे पत्थर लाईन 174 पर उत्तर से दक्षिण स्वीकृत तीन गट्ठा रास्ता से पत्थर लाईन 152 पर पूर्व से पश्चिम स्वीकृत गैरमुमकिन रास्ता प.न. 174/152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 5 मे भाखरा उपनिवेशन विभाग द्वारा स्वीकृत एवं चालू रास्ता है जो पश्चिम मे चक 5 एएमपी के प.न. 173/152 मु.न. 51 के कि.न. 1 ता 5 से होते हुये स्वीकृत है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 को चक 15 बीजीपी मे संयुक्त खाता सं. 103/102 के प.न. 174/152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 4 मे दर्ज उक्त गैरमुमकिन रास्ता को निरस्त करवाने की अधिकारिता नही थी। सिंचाई विभाग द्वारा प.न. 174/152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 4 मे स्वीकृत खाला उक्त कि.न. 1 ता 4 मे स्वीकृत गैरमुमकिन रास्ता की भूमि मे से नही था अपितु यह गैरमुमकिन खाला पृथक से स्वीकृत था। रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपनी भूमि बचाने के आशय से इस गैरमुमकिन खाला को मिथ्या रूप से गैरमुमकिन रास्ता की जगह स्वीकृत होने का कथन किया। सिंचाई विभाग को गैरमुमकिन रास्ता की भूमि मे रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार नही था तथा ना ही सिंचाई विभाग द्वारा गैरमुमकिन रास्ता की भूमि मे यह खाला स्वीकृत किया गया था। रेस्पो0 सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत सिंचाई विभाग के आदेश व नक्शा प्रदर्श 5 व 6 से यह साबित नही था कि यह गैरमुमकिन खाला गैरमुमकिन स्वीकृत रास्ता के स्थान पर स्वीकृत हुआ हो। पत्थर लाईन 152 पर स्वीकृत

गैरमुमकिन रास्ता चक 5 एएमपी व चक 15 बीजीपी की भूमि के लिये उपनिवेशन विभाग द्वारा स्वीकृत था तथा अपीलांट एवं अन्य खातेदारो की भूमि के लिये आवागमन हेतु यही एक मात्र रास्ता है। प.न. 174 / 152 मु.न. 47 के कि.न. 5 मे यह रास्ता राजस्व अभिलेख मे आज भी विद्यमान है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 88 व 53 आरटीए के वादपत्र मे उपनिवेशन विभाग द्वारा स्वीकृत रास्ता को किसी एक खातेदार के निवेदन पर खारिज करने की अधिकारिता नही थी तथा ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी स्वीकृत रास्ता को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को था। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस अपीलाधीन प्रकरण मे पक्षकार नही थे इसलिये अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नही रहा इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चक 15 बीजीपी के प.न. 174 / 152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 4 मे दर्ज गैरमुमकिन रास्ता के स्थान पर गैरमुमकिन खाला दर्ज करने की सीमा तक अपास्त किया जावें व पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश फरमाये जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन का करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र मे रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपनी चक 15 एएमपी, 15 बीजीपी व चक 16 एमटीडब्ल्यू की संयुक्त खाता की भूमि के खाता विभाजन के अनुतोष के साथ साथ चक 15 बीजीपी के खाता सं. 103 / 102 मे प.न. 174 / 152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 4 मे रास्ता के स्थान पर खाला दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत खाता विभाजन की डिक्री प्रदत्त करने के साथ साथ चक 15 बीजीपी के प.न. 174 / 152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 4 मे रास्ता के स्थान पर खाला राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश प्रदान किया गया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से व्यथित एवं प्रभावित नही हुये है। अपीलांटस का चक 15 बीजीपी के प.न. 174 / 152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 4 मे से कभी भी आवागमन नही रहा है तथा कि.न. 1 ता 4 मे रास्ता कभी भी चालू नही रहा है तथा कि.न. 1 ता 4 मे हमेशा से स्वीकृतशुदा खाला चलता रहा है तथा आज भी मौका पर खाला चालू है। इसलिये अपीलांटस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नही है। अपीलांटस उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है क्योंकि अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 13.10.2016 से पहले से रही है तथा अपीलांटस ने जानबूझकर अपील देरी से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मे वर्णित तथ्य कतई असत्य है तथा उक्त मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ किया जाना उचित नही है। अपीलांट को वैकल्पिक एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध होने के कारण नया रास्ता नही बनाया जा सकता है। अपीलांटस किसी प्रकार से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार नही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2014(1) पेज 40, आरआरटी 2017(1) पेज 423, आरआरटी 2017(1) पेज 613, आरआरटी 2005 पेज 1014, आरआरटी 2007(2) पेज 788 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्टस पक्षकार नही थे इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपनी चक 15 एएमपी, 15 बीजीपी व चक 16 एमटीडब्ल्यू की संयुक्त खाता की भूमि के खाता विभाजन के अनुतोष के साथ साथ चक 15 बीजीपी के खाता सं. 103/102 मे प.न. 174/152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 4 मे रास्ता के स्थान पर खाला दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत खाता विभाजन की डिक्री प्रदत्त करने के साथ साथ चक 15 बीजीपी के प.न. 174/152 मु.न. 47 कि.न. 1 ता 4 मे रास्ता के स्थान पर खाला राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश प्रदान किया गया है। जबकि चक 15 बीजीपी के प.न. 174/152 मु.न. 47 के कि.न. 1 ता 5 व चक 5 एएमपी के प.न. 173/151 के मु.न. 57 के कि.न. 1 ता 5 मे मंजूरशुदा रास्ता विद्यमान है तथा किसी एक खातेदार द्वारा मंजूरशुदा रास्ता की बीच मे से विभाजन के दावे मे बिना किसी प्रभावित पक्षकार सुने निरस्त करवाकर खाला दर्ज नही किया जा सकता है, क्योंकि विभाजन के वाद मे केवल विभाजन के साथ साथ पक्षकारान को रास्ता व खाला की सुविधा दिये जाने के प्रावधान है ना ही स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त कर खाला दर्ज किये जाने के,। स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त करने या नया जो सार्वजनिक उपयोग हेतु विद्यमान है, को स्वीकृत करवाने के प्रावधान राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 की शर्त 8(2) मे किये गये है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसके तहत रास्ता से प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर रास्ता निरस्त व नया रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। परन्तु रेस्पो0 द्वारा विभाजन के वादपत्र मे तहत चक 15 बीजीपी के प.न. 174 / 152 मु.न. 47 के कि.न. 1 ता 4 मे बीच मे से यानि आगे पीछे रास्ता को छोड़ते हुये रास्ता के स्थान पर खाला दर्ज करवा गया है जो विधिपूर्ण नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री गैरमुमकिन रास्ता के स्थान पर गैरमुमकिन खाला दर्ज करने की सीमा तक पुष्टि योग्य नही होने के कारण अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चक 15 बीजीपी के प.न. 174 / 152 मु.न. 47 के कि.न. 1 ता 4 मे गैरमुमकिन रास्ता के स्थान पर गैरमुमकिन खाला दर्ज करने की सीमा तक निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.10.2013 व डिक्री दिनांक 10.10.2013 को चक 15 बीजीपी के प.न. 174 / 152 मु.न. 47 के कि.न. 1 ता 4 मे दर्ज गैरमुमकिन रास्ता के स्थान पर गैरमुमकिन खाला दर्ज करने की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा इसी हद तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेस्पो0 राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त 8(2) के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। चक 15 बीजीपी के प.न. 174 / 152 मु.न. 47 के कि.न. 1 ता 4 मे दर्ज गैरमुमकिन रास्ता के स्थान पर गैरमुमकिन खाला दर्ज करने, के अतिरिक्त शेष विभाजन की सीमा तक अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.10.2013 व डिक्री दिनांक 10.10.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 15/2017/223 आरटीए

1. दातेन्द्र कौर पुत्री महेन्द्र सिंह (माता स्व. श्रीमति हरभजनकौर पत्नि महेन्द्रसिंह) जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 14 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. प्रभातेश्वर पिसरान महेन्द्र सिंह (माता स्व. श्रीमति हरभजनकौर पत्नि महेन्द्रसिंह) जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 14 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. अखिलेश पुत्र महेन्द्र सिंह (माता स्व. श्रीमति हरभजनकौर पत्नि महेन्द्रसिंह) जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 14 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. जीतेश पुत्र महेन्द्र सिंह (माता स्व. श्रीमति हरभजनकौर पत्नि महेन्द्रसिंह) जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 14 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांटस

बनाम

1. महावीर पुत्र स्व. हरलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. अनिल पुत्र स्व. हरलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– असल रेस्पोडेंटस

3. कौशल्या पुत्री स्व. हरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. उर्मिला पुत्री स्व. हरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. काशीराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. औमप्रकाश पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. सरस्वती देवी पत्नि स्व. पतराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. अमीलाल पुत्र स्व. पतराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. सीताराम पुत्र स्व. पतराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. गुड्डी देवी पुत्री स्व. पतराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. सन्जूदेवी पुत्री स्व. पतराम पुत्र स्व. श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. रानी देवी पुत्री स्व. पतराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी चक 5 डीडब्ल्यूएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. भूराराम पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

14. सुरजाराम पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. श्योकरण पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. मेहरचन्द पुत्र स्व. भादरराम पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. हंसराज पुत्र स्व. भादरराम स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. कान्हाराम पुत्र स्व. भादरराम पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. मुखराम पुत्र स्व. भादरराम पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. मनफुलराम पुत्र स्व. हेमाराम पुत्र स्व. उमाराम जाति जाट निवासी शहीदांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
21. मांगीलाल पुत्र स्व. हेमाराम पुत्र स्व. उमाराम जाति जाट निवासी शहीदांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
22. श्योपतराम पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. हेमाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
23. लालचन्द पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. हेमाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
24. चिमनाराम पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
25. जगदीश पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
26. दयालाराम पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
27. महेन्द्र पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
28. राजकिरण पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
29. कमलकुमार पुत्र स्व. रामस्वरूप पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
30. कनीराम पुत्र स्व. रामस्वरूप पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
31. बहादर पुत्र रूड़ा जाति चमार चौपड़ा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
32. मनफुल पुत्र स्व. जीसुख जाति चमार चौपड़ा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
33. मांगीलाल पुत्र प्रतापी जाति महाजन ओसवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

34. सुखी पत्नि सन्तोषचन्द्र जाति महाजन ओसवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
35. रामजीदास पुत्र पूरण जाति महाजन ओसवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
36. प्रहलाद पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 11 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
37. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——रेस्पो0 / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.10.2013 एवं डिक्री दिनांक 10.10.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया मु.न. 207 / 10 अनवानी महावीर आदि बनाम कौशल्या आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांटस, श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 37 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.10.2013 व डिक्री दिनांक 10.10.2013 को चक 15 बीजीपी के प.न. 174 / 152 मु.न. 47 के कि.न. 1 ता 4 मे दर्ज गैरमुमकिन रास्ता के स्थान पर गैरमुमकिन खाला दर्ज करने की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा इसी हद तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेस्पो0 राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त 8(2) के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। चक 15 बीजीपी के प.न. 174 / 152 मु.न. 47 के कि.न. 1 ता 4 मे दर्ज गैरमुमकिन रास्ता के स्थान पर गैरमुमकिन खाला दर्ज करने, के अतिरिक्त शेष विभाजन की सीमा तक अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.10.2013 व डिक्री दिनांक 10.10.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.08.2018 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ